भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1652
10.03.2025 को उत्तर के लिए

जनजातीय समुदायों के साथ संयुक्त वन प्रबंधन

1652. श्री रमासहायम रघुराम रेड्डी :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों की सक्रिय भागीदारी वाली संयुक्त वन प्रबंधन समितियों की संख्या कितनी है;
(ख) राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम के अंतर्गत जनजातीय समुदायों की भागीदारी से कुल कितने अवक्रमित वनों का जीर्णोद्धार किया गया है;
(ग) जनजातीय क्षेत्रों में मानव-वन्यजीव संघर्ष से निपटने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और
(घ) वन विभाग में वन रक्षक और अन्य पदों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने व्यक्ति कार्यरत हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री :
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) और (ख): राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम (एनएपी) मंत्रालय की प्रमुख वनरोपण योजना रही है, जिसे वर्ष 2000 से अखिल भारतीय स्तर पर लोगों की भागीदारी और विकेन्द्रित वन प्रशासन के साथ अभिज्ञात किए गए अवक्रमित वन क्षेत्रों में वनरोपण के लिए कार्यान्वित किया गया है। राष्ट्रीय हरित भारत मिशन (जीआईएम) का उद्देश्य वन और वनेतर क्षेत्रों में वृक्षारोपण कार्यकलापों के माध्यम से भारत के वन क्षेत्र की रक्षा, पुनर्बहाली और संवर्धन करना है और ये कार्यकलाप वर्ष 2015-16 में शुरू किए गए थे। राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम के लक्षित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, मंत्रालय ने एनएपी को हरित भारत मिशन (जीआईएम) में विलय कर दिया है ताकि हरित करने के समग्र प्रयासों को बढ़ावा दिया जा सके।

वर्ष 2001 से 2021 तक राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम के तहत वनों की पुनर्बहाली का कुल क्षेत्रफल 22,15,019 हेक्टेयर है। वर्ष 2015 से अब तक हरित भारत मिशन के तहत कवर किया गया क्षेत्रफल 1,55,130 हेक्टेयर है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लगभग 88,000 संयुक्त वन प्रबंधन समितियां गठित की गई हैं।

(ग) और (घ): मानव-वन्यजीव संघर्षों के प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार हैं:

i. मंत्रालय ने मानव वन्यजीव संघर्ष की स्थितियों से निपटने के लिए दिनांक 06.02.2021 को सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को एक परामर्शिका जारी की है।

ii. मंत्रालय ने फसलों को होने वाले नुकसान सहित मानव-वन्यजीव संघर्ष के प्रबंधन के लिए दिनांक 03.06.2022 को राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को दिशानिर्देश जारी किए हैं।

iii. मंत्रालय ने हाथी, गौर, तेंदुआ, सांप, मगरमच्छ, रीसस मैकाक, जंगली सुअर, भालू, नीलगाय और काला हिरण के कारण होने वाले मानव-वन्यजीव संघर्षों को कम करने के लिए दिनांक 21.03.2023 को प्रजाति-विशिष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय ने मीडिया के साथ सहयोग, मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने में लगे लोगों का व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और मानव-वन्यजीव संघर्ष की स्थितियों से उत्पन्न होने वाली स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियों से निपटने जैसे विभिन्न प्रकार के मुद्दों के समाधान के लिए भी दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

iv. संरक्षित क्षेत्रों की प्रबंधन योजनाओं को वैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन किया गया है, जिसके तहत संबंधित ग्राम सभा के साथ परामर्श अनिवार्य कर दिया गया है।

v. मंत्रालय देश में वन्यजीवों और उनके पर्यावास के प्रबंधन के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं 'वन्यजीव पर्यावासों का विकास' और 'बाघ एवं हाथी परियोजना' के तहत राज्य और संघ शासित क्षेत्र सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। सहयोग प्रदान किए गए कार्यकलापों में प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली संबंधी उपकरणों की खरीद, जंगली जानवरों को फसल लगे खेतों में प्रवेश करने से रोकने के लिए कांटेदार तार की बाड़, सौर, विद्युत बाड़, जैव-बाड़, चारदीवारी आदि जैसे भौतिक अवरोधों का निर्माण और स्थापना शामिल हैं।

vi. रेडियो कॉलरिंग, डिजिटल सेंसर वॉल और ई-निगरानी जैसी उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग मानव वन्यजीव संघर्ष के उपशमन में भी किया जाता है।

vii. राज्यों के वन विभाग मानव-पशु संघर्ष के विषय में आम जनता को जागरूक करने के लिए समय-समय पर जागरूकता अभियान चलाते हैं। इसके अलावा, वन विभाग हाथियों की आवाजाही पर नज़र रखने और लोगों को समय रहते सावधान करने के लिए स्थानीय समुदायों को पशु ट्रैकरों के रूप में सम्मिलित कर रहे हैं।

viii. मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में कार्रवाई दल तैनात किए गए हैं।

राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के वन विभागों में वन रक्षकों और अन्य पदों पर कार्यरत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की संख्या मंत्रालय स्तर पर संकलित नहीं की जाती है।

*****